

निर्णय

06/12/22

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 92क व 209 तहत प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। वकील प्रार्थी का कथन है कि मौजा उदय नगर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2419/381 रकबा 0.1619 हैक्टर भूमि प्रार्थी की खातेदारी की आई हुई है, जिसमें प्रार्थी का कब्जा है तथा चारों तरफ बाउण्डरी की गई है। चूंकि प्रतिवादी, वादी के सेढा पड़ोसी होने से प्रतिवादी, असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर प्रार्थी के कब्जे काशत में दखलन्दाजी कर प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है। यदि प्रार्थी के कब्जे काशत में प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णाय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी के विरुद्ध निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाये कि अप्रार्थी उपवर्णित भूमि में प्रार्थी के कब्जा काशत में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे न ही किसी अन्य से करावे। मौके व रेकर्ड की वाद के निर्णय तक यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नही है क्योंकि प्रार्थी का खातेदारी का खसरा संख्या 2419/381 के पास अप्रार्थी का खसरा संख्या 2374/381, 2375/381 नही आया हुआ है। प्रार्थी और अप्रार्थी के खेतों के बीच अन्य 02 खसरे आये हुए है तथा प्रार्थी की

सहायक कलेक्टर
(SDO), बाडमेर




राजस्व आवेदन संख्या 187/2022 अनवान हीरानन्द बनाम लूणीदेवी के
कायम मुकाम मनोज कुमार

खातेदारी के खेत में अप्रार्थी ने कभी भी प्रार्थी को बेदखल करने की कोशिश नहीं की तथा न ही प्रार्थी डरपोक, सीधा व कमजोर है। प्रार्थी द्वारा केवल मनगढत तथ्यों से अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया है। लिहाजा प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज योग्य है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से तथा वाद पत्रावली एवं आवेदन के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध तीन अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिसका निर्णय बाद मेरट पर किया जा सकेगा जो समान अनुतोष के है तथा प्रकरण में उभय पक्षों का मौके पर विवाद है। यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो वादों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। प्रकरण के निर्णय तक उभय पक्षों को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा उदय नगर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2419/381 रकबा 0.1619 हैक्टयर भूमि मौके में उभय पक्ष मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। तथा एक-दूसरे के कब्जे काशत में दखलन्दाजी नहीं करें। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
(SDO), बाडमेर